



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 207]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 22 मई 2014—ज्येष्ठ 1, शक 1936

परिवहन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 मई 2014

क्र. एफ-22-22-2013-आठ.—मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 65 के साथ पठित धारा 211 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 4 फरवरी, 2014 को, उक्त अधिनियम, की धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार पूर्व में प्रकाशित किए जा चुके हैं, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

### संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 55-क के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“55-क, विनिर्दिष्ट पंजीयन नम्बर का आवंटन।—

- (1) आवेदक मध्यप्रदेश राज्य में वेब आधारित ऑनलाइन नीलामी प्रणाली तथा/या वेब आधारित डीलर प्लाईट नामांकन प्रणाली का उपयोग कर सकेंगे। इस प्रयोजन के लिए आवेदक से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति, कंपनी, संस्था या कोई निकाय, जो यान के स्वामी के रूप में पंजीकृत होने का इच्छुक हो।
- (2) वेब आधारित ऑनलाइन नीलामी प्रणाली और/या वेब आधारित डीलर प्लाईट नामांकन प्रणाली का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश के परिवहन विभाग के किसी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय/सहायक क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय/जिला परिवहन कार्यालय की समस्त नियमित श्रृंखलाओं के लिए इस नियम के अधीन विनिर्दिष्ट पंजीयन नम्बर आरक्षित रहेंगे।

आनलाइन नीलामी की प्रक्रिया:—

- (क) राज्य के समस्त परिवहन कार्यालयों/क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों/सहायक क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों/जिला परिवहन कार्यालयों पर आरक्षित आनलाइन नीलामी प्रणाली का उपयोग करते हुए ऐसे पंजीयन नम्बर के लिए अधिकतम नीलामी बोली पर आरक्षित रखे जाएंगे।

- (ख) वेब आधारित ऑनलाइन नीलामी प्रणाली परिवहन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा विनियमित की जाएगी. किसी विवाद की दशा में, परिवहन आयुक्त, मध्यप्रदेश का विनिश्चय अंतिम और सभी पर बाध्यकारी होगा.
- (ग) नीलामी प्रणाली के लिए, नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट ऐसा पंजीयन नम्बर प्राप्त करने के इच्छुक आवेदक को यान की वांछित श्रेणी के लिए सारणी में विनिर्दिष्ट आधार मूल्य का भुगतान आनलाइन मोड द्वारा वेब आधारित नीलामी प्रणाली का उपयोग करते हुए करना होगा, जिससे वह ऐसी वेब आधारित आनलाइन नीलामी प्रणाली में सम्मिलित होने में समर्थ हो जाएगा.
- (घ) वेब आधारित आनलाइन नीलामी प्रणाली द्वारा पंजीयन नम्बर का आरक्षण यान के स्वामी के नाम से किया जाएगा.
- (ङ) वेब आधारित आनलाइन नीलामी प्रणाली द्वारा आरक्षित पंजीयन नम्बर हस्तांतरणीय नहीं होगा.
- (च) वेब आधारित आनलाइन नीलामी प्रणाली के अधीन केवल अधिकतम बोली लगाने वाले के लिए ही पंजीयन नम्बर आरक्षित रहेगा.
- (छ) नीलामी की प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के पश्चात् अधिकतम बोली लगाने वाले को अंतिम बोली की राशि का अर्थात् सफल बोली की राशि में से पहले से ही संदत्त कर दिए गए आधार मूल्य को कम करते हुए शेष राशि का वेब आधारित आनलाइन नीलामी प्रणाली के अधीन उपलब्ध कराए गए भुगतान गेट बे का उपयोग करते हुए भुगतान करने के लिए सफल बोली की घोषणा की तारीख से 7 दिन का समय दिया जाएगा. यदि बोली लगाने वाला उसकी बोली की राशि जमा करने में असफल रहता है तो ऐसा पंजीयन नम्बर आगामी नीलामी चक्र में आरक्षण के लिए खुला रहेगा और नीलामी प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए भुगतान किया गया आधार मूल्य परिवहन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा समर्पित कर लिया जाएगा.
- (ज) सफल बोली लगाने वाले को, सफल बोली की घोषणा की तारीख से 60 दिन के भीतर संबंधित पंजीयन प्राधिकारी के पास यान का पंजीयन कराना होगा. इसमें असफल रहने पर नीलामी स्वतः निरस्त हो जाएगी और ऐसा पंजीयन नम्बर वेब आधारित आनलाइन नीलामी प्रणाली द्वारा पुनः नीलामी के प्रयोजन के लिए खुला रहेगा. नीलामी की रकम जिसमें आधार राशि सम्मिलित है विभाग द्वारा समर्पित कर ली जाएगी. आरक्षित पंजीयन नम्बर, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 और मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के उपबंधों तथा मोटर यान के पंजीयन के लिए उसके अधीन बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन करते हुए यान को प्रस्तुत करने पर दिया जाएगा.
- (झ) यदि आवश्यक हो तो मध्यप्रदेश राज्य के लिए वेब आधारित नीलामी प्रणाली को वेब आधारित डीलर प्लाइट नामांकन प्रणाली के साथ एकीकृत किया जा सकेगा.
- (ज) नीलाम किया गया पंजीयन नम्बर किसी अन्य यान के लिए न तो हस्तांतरणीय होगा और न ही यान के स्वामी द्वारा पंजीयन नम्बर निरस्त किए जाते समय अपने पास रखा जा सकेगा.
- (ट) इस प्रक्रिया में सम्मिलित सभी असफल बोली लगाने वालों को उनके द्वारा आधार राशि के रूप में जमा की गई संपूर्ण राशि उनके अपने बैंक खातों में, संबंधित बैंक द्वारा सेवा शुल्क की कटौती के अध्यधीन रहते हुए स्वतः वापस कर दी जाएगी.

### सारणी

अनुक्रमांक (1)	समस्त श्रृंखलाओं के लिए ऑनलाईन पंजीयन नम्बर (2)	दो तथा तीन पहिया वाहनों के लिए आधार मूल्य (3)	दो तथा तीन पहिया वाहनों से भिन्न समस्त यानों के लिए आधार मूल्य (4)
1.	0001	20,000.00	1,00,000.00
2.	0002, 0003, 0004, 0005, 0006 0007, 0008, 0009, 0786.	15,000.00	50,000.00

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	0010, 0011, 0022, 0033, 0044, 0055, 0066, 0077, 0088, 0099, 0100, 0111, 0123, 0222, 0234, 0333, 0345, 0444, 0456, 0555, 0567, 0666, 0678, 0777, 0789, 0888, 0999, 1000, 1111, 1234, 2000, 2222, 2345, 3000, 3333, 3456, 4000, 4444, 4567, 5000, 5555, 5678, 6000, 6666, 6789, 7000, 7777, 8000, 8888, 9000, 9090, 9999.	7,000.00	25,000.00
4.	0012, 0013, 0014, 0015, 0016, 0017, 0018, 0019, 0020, 0021, 0023, 0024, 0025, 0026, 0027, 0028, 0029, 0030, 0031, 0032, 0034, 0035, 0036, 0037, 0038, 0039, 0040, 0041, 0042, 0043, 0045, 0046, 0047, 0048, 0049, 0050, 0051, 0052, 0053, 0054, 0056, 0057, 0058, 0059, 0060, 0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0990, 101, 108, 0110, 202, 303, 404, 505, 606, 707, 808, 909, 1001, 1008, 2002, 3003, 4004, 5005, 6006, 7007, 8008, 9009, इस सारणी में विनिर्दिष्ट से भिन्न प्रत्येक श्रृंखला में अंतिम दो अंक 00 हों उदाहरण के लिए 500, 1100, 3200, 5100, 6600, 8300, 9800 इत्यादि.	5,000	15,000

3 उपरोक्त उप नियम (2) के अधीन विनिर्दिष्ट नम्बरों के अतिरिक्त किसी विनिर्दिष्ट पंजीयन नम्बर के आरक्षण के लिए यान का स्वामी उस क्षेत्र के परिवहन प्राधिकारी के पास जहां कि उसके यान का पंजीयन होना है, प्रचलित श्रृंखला में उपलब्ध पंजीयन नम्बर के लिए वेब आधारित डीलर प्वाइंट नामांकन प्रणाली का उपयोग करते हुए आवेदन कर सकेगा।

वेब आधारित डीलर प्वाइंट नामांकन (इन्नोलमेंट) द्वारा नीलामी से अन्यथा पंजीयन नम्बर के आरक्षण की प्रक्रिया:-

- (क) उपरोक्त सारणी में नीलामी प्रक्रिया के लिए विनिर्दिष्ट नम्बरों से भिन्न पसंद के पंजीयन नम्बरों के आरक्षण के लिए यान के स्वामी को उस परिवहन प्राधिकारी की अधिकारिता में, जहां कि यान का पंजीयन होना है, प्रचलित श्रृंखला में से उपलब्ध कोई पंजीयन नम्बर चुनने का अधिकार होगा।
- (ख) इस प्रक्रिया के अधीन, प्रत्येक क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय/सहायक क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय/जिला परिवहन कार्यालय में प्रचलित श्रृंखला में उपलब्ध ऐसे समस्त पंजीयन नम्बरों को वेब आधारित डीलर प्वाइंट नामांकन प्रणाली के अधीन प्रदर्शित किया जाएगा, जिसमें दो तथा तीन पहिया वाहनों के प्रत्येक पंजीयन नम्बर के लिए आवेदक को 2,000 रुपये और दो पहिया वाहनों से अन्यथा किसी श्रेणी के लिए प्रत्येक पंजीयन नम्बर के लिए 5,000 रुपए का भुगतान करना होगा।
- (ग) इस नियम के अधीन पंजीयन नम्बर के आरक्षण के लिए, ऐसा पंजीयन नम्बर प्राप्त करने के लिए इच्छुक आवेदक को यान की वांछित श्रेणी के लिए उपरोक्त खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट मूल्य का भुगतान वेब आधारित डीलर प्वाइंट नामांकन

प्रणाली के माध्यम से पेमेन्ट गेट वे द्वारा यान के नामांकन, कर के भुगतान, पंजीयन शुल्क और/या किन्हीं अन्य लागू प्रभारों के साथ करना होगा।

- (घ) इस प्रक्रिया के अधीन आरक्षित पंजीयन नम्बर, मोटरयान अधिनियम, 1988 (1888 का 59) तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का पालन करते हुए यान को प्रस्तुत करने पर दिया जाएगा।
- (ङ) आरक्षित पंजीयन नम्बर किसी अन्य यान के लिये हस्तांतरणीय नहीं होगा और न ही पंजीयन नम्बर को निरस्त किए जाते समय यान का स्वामी उसे अपने पास रख सकेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, उपसचिव।

No. F-22-22-2013-VIII.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 65 read with Section 211 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988), the State Government, hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Motor Vehicle Rules, 1994 the same having been previously published as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act in the Madhya Pradesh Gazette (Extra-Ordinary) dated 04th February 2014, namely:—

#### AMENDMENT

In the said rules, for rule 55-A, the following rule shall be substituted, namely:—

#### **”55-A, Assignment of specified registration mark.—**

- (1) Applicant may use Web based Online Auction System and/or Web based Dealer's Point Enrollment System in the State of Madhya Pradesh. For this purpose the applicant shall mean any individual, company, institution or any other body, which is desirous to be registered as Vehicle Owner.
- (2) Specified registration mark shall be reserved under this rule for all regular series of any Regional Transport Office/Assistant Regional Transport Office/District Transport Office of Transport Department of Madhya Pradesh by using Web based Online Auction System and/or Web based Dealer's Point Enrollment System.

#### **Process of Online Auction:—**

- (a) Registration numbers specified under prevalent series at each Transport Offices/Regional Transport Office/Assistant Regional Transport Office/District Transport Office of the State which are shown in the Table below under this rule which shall be reserved through auction using Web based Online Auction System at the highest bid for such a registration number.
- (b) Web based Online Auction System shall be regulated by the Transport Department, Government of Madhya Pradesh. In case of any dispute, the decision of the Transport Commissioner, Madhya Pradesh shall be final and binding to all.
- (c) For the Auction process, applicant desirous of obtaining such registration number specified in the Table below shall be required to pay the base price specified in the Table for the desired category of vehicle through online mode using Web based Online Auction System, which shall enable him to participate in such Web based online Auction process.
- (d) Reservation of registration number through Web based Online Auction System shall be in the name of the owner of the Vehicle.
- (e) Registration number reserved through Web based Online Auction System shall not be transferable.

- (f) Under the Web based Online Auction System, registration number shall be reserved for the highest bidder only.
- (g) After the completion of Auction process, the highest bidder would be given 07 days from the date of declaration of successful bid to deposit his final bid amount that is the winning bid amount minus the base price already paid, using the payment gateway provided under Web based Online Auction System. If the bidder fails to deposit his bid amount, such registration mark shall be released for reservation in the next auction cycle and the base price paid for participation under the auction process shall be forfeited by the Transport Department, Government of Madhya Pradesh.
- (h) The successful bidder would be required to register the vehicle with the concerned Registering Authority within 60 dyas from the date of declaration of successful bid. Failure so to do would result in automatic cancellation of the bid and such registration number shall be released again for the purpose of auction using the Web based Online Auction System. Amount of bid including base price shall be forfeited by the Department. The reserved registration number shall be assigned on presentation of the vehicle complying with the requirement of the Rules of Central Motor Vehicles Rules, 1989 and the provisions of the Motor Vehicle Act, 1988 (No. 59 of 1988) and the rules made thereunder for registration of a Motor Vehicle.
- (i) If required, the Web based Online Auction System may be integrated with Web based Dealer Point Enrollment System for the State of Madhya Pradesh.
- (j) the auctioned registration number shall neither be transferable to any other vehicle nor could be retained by the Vehicle Owner at the time of cancellation of Registration Number.
- (k) For all the unsuccessful bidders participating in this process, the entire amount deposited by them as base amount shall be refunded automatically in their respective bank account subject to deduction of service charges recoverable by bank concerned.

TABLE

S. No.	Online Auction Registration Numbers For All Series (2)	Base price for Two and Three Wheeler (3)	Base price for all vehicles other than two and Three Wheeler (4)
1.	0001	20,000.00	1,00,000.00
2.	0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0786.	15,000.00	50,000.00
3.	0010, 0011, 0022, 0033, 0044, 0055, 0066, 0077, 0088, 0099, 0100, 0111, 0123, 0222, 0234, 0333, 0345, 0444, 0456, 0555, 0567, 0666, 0678, 0777, 0789, 0888, 0999, 1000, 1111, 1234, 2000, 2222, 2345, 3000, 3333, 3456, 4000, 4444, 4567, 5000, 5555, 5678, 6000, 6666, 6789, 7000, 7777, 8000, 8888, 9000, 9090, 9999.	7,000.00	25,000.00
4.	0012, 0013, 0014, 0015, 0016, 0017, 0018, 0019, 0020, 0021, 0023, 0024, 0025, 0026, 0027, 0028, 0029, 0030, 0031, 0032, 0034, 0035, 0036, 0037, 0038, 0039, 0040, 0041, 0042, 0043, 0045, 0046, 0047, 0048, 0049, 0050, 0051, 0052, 0053, 0054, 0056, 0057, 0058, 0059, 0060, 0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0067, 0068, 0069, 0070,	5,000.00	15,000.00

(1)	(2)	(3)	(4)
0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 101, 108, 0110, 202, 303, 404, 505, 606, 707, 808, 909, 1001, 1008, 2002, 3003, 4004, 5005, 6006, 7007, 8008, 9009, last two digits is oo in each series other than specified in this table for example 500, 1100, 3200, 5100, 6600, 8300, 9800 etc.			

3. For reservation of specified registration number in addition to the marks specified under sub-rule (2) above, the vehicle owner may apply for any specified registration number available in the prevalent series with the Transport Authority of the Area where his vehicle is to be registered using web based dealer point enrollment system.

**Process for Reservation of Registration number other than specified for Auction using Web based Dealer Point Enrollment System:—**

- (a) For reservation of choice registration number other than number specified for auction process in the Table above, the Vehicle Owner shall have the right to choose any such available registration number from prevalent series under the jurisdiction of the Transport Authority, where the Vehicle is to be registered.
- (b) Under this process, all such available registration number in the prevalent series for each Regional Transport Office/Assistant Regional Transport Office/ District Transport Office shall be displayed under the Web based Dealer Point Enrollment System, wherein the applicant shall be required to pay Rs. 2,000/- for each registration mark for Two and Three Wheeler and Rs. 5,000/- for each registration number for any category other than Two Wheeler.
- (c) For reservation of registration number under this rule, the applicant desirous of obtaining such registration number shall be required to pay the price specified in clause (b) above for the desired category of vehicle using online payment gateway in Web based Dealer Point Enrollment System along with the enrollment of vehicle, payment of tax, registration fees and/ or any other applicable charges.
- (d) The reserved registration number under this process shall be assigned on presentation of the vehicle complying with the requirement of the provisions of the Motor Vehicle Act, 1988 (No. 59 of 1988) and the rules made thereunder for registration of a motor vehicle.
- (e) The reserved registration number shall neither be transferable to any other vehicle nor could it be retained by the Vehicle Owner at the time of cancellation of registration number.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, उपसचिव.